न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37/2025, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. राजाराम
2. रूपसिंह
3. अमरसिंह

पुत्रान घीस्याराम सैनी जाति माली निवासी ग्राम ढण्ड तहसील महवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. कदम सैनी पुत्र श्री मूला सैनी जाति माली निवासी ढण्ड तहसील महवा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा।
3. सुश्री मनीषा मीना वर्तमान पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर महवा तहसील महवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण उनवानी प्रकरण कदम सैनी बनाम राजाराम वगैरा दावा बाबत् बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 39/2020 न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा के न्यायालय में विचाराधीन है

उपस्थितिः श्री राजेन्द्र जांगिड अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 25.06.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एक दावा न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा के यहां पेश कर रखा है कि आराजी खसरा नम्बर 859/1033 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 859/2 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 925 रकबा 0.45 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर वाके ग्राम ढण्ड तहसील महवा जिला दौसा में स्थित है। उक्त दावे में प्रार्थीगण के विरूद्ध कब्जा करने का झूंठा आरोप लगाकर प्रार्थीगण को उक्त खसरा नम्बरान से बेदखल करने का दावा न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा में पेश कर रखा है। जबकि उक्त खसरा नम्बर 859/1033 पर प्रार्थीगण की ही कब्जेशुदा भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण पक्का मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे है। जिनको प्रार्थीगण बेदखल करने पर आमादा है [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 ने पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर महवा से पूर्ण रूप से सांठगांठ कर रखी है। न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसी सूरत में प्रकरण को निष्पक्ष न्याय के लिये अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। उपखण्ड अधिकारी महवा से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि उक्त दावे में प्रार्थीगण के विरूद्ध कब्जा करने का झूंठा आरोप लगाकर प्रार्थीगण को उक्त खसरा नम्बरान से बेदखल करने का दावा उप जिला कलक्टर महवा के यहां पेश कर रखा है। जबकि उक्त खसरा नम्बर 859/1033 पर प्रार्थीगण की ही कब्जेशुदा भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण पक्का मकान बनाकर निवास करते आ रहे है। जिनको प्रार्थी बेदखल करने पर आमादा है। जबकि उक्त जमीन पर प्रार्थीगण का कब्जा पूर्वजो के समय से ही चला आ रहा है। उसके बावजूद भी वादी प्रार्थीगण के खिलाफ झूंठा दावा पेश कर प्रार्थीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहता है। प्रार्थीगण का कब्जा अपने पूर्वजा के समय से ही है। अप्रार्थी संख्या 1 अर्थात् वादीगण का उक्त भूमि से जिस पर प्रार्थीगण निवास कर रहे है कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को वर्तमान पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर महवा के आवास एवं चैम्बर पर कई बार मिलते जुलते एवं बातचीत करते देखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 सरेआम गांव में कहते है कि मेरी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है उक्त प्रकरण का निस्तारण मेरे पक्ष में शीघ्र ही होगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीक–नजदीक तारीख पेशीयां दी जा रही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पीठासीन अधिकारी से षडयंत्र कर रखा है। पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर उप जिला कलक्टर महवा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 39/2020 उनवानी कदम सैनी बनाम राजाराम वगैरा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादी के गवाह में पत्रावली चल रही है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 पेश करने पर दिनांक 12.05.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी जिरह हेतु विचाराधीन है। प्रतिवादी गवाहो से जिरह नहीं करवा रहे है। प्रश्नगत भूमि का तकास्मा हो चुका है। तकास्मे की अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में की गई थी जो खारिज की जा चुकी है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पुनः निवेदन किया गया कि सडक में गई भूमि का निस्तारण से पूर्व ही तकास्मा कर दिया गया है जबकि रोड में गई भूमि के निस्तारण के बाद शेष भूमि के तकास्मे की पालना की जानी चाहिये थी। प्रार्थीगण को जबरन बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:32 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर महवा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में लगाये गये आरोप निराधार व मिथ्यापूर्ण एवं गलत है क्योंकि उनवानी प्रकरण कदम बनाम राजाराम वगैरा में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर ही सुनवाई की जाती है। प्रकरण के अप्रार्थी से इस न्यायालय से कोई व्यक्तिशः सरोकार होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। न्यायालय में पक्षकारों के हको के मध्यनजर ही प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। न्यायालय में पुराने प्रकरणों में तारीख पेशीयां नजदीक दी जाती है जिससे प्रकरण के नियमानुसार निस्तारण में विलम्ब नहीं हो और पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिल सके। यदि प्रार्थी प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते है तो उप जिला कलक्टर महवा को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 39/2020 उनवानी कदम सैनी बनाम राजाराम वगैरा दावा बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा में पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तारीख पेशी 09.05.2025 नियत की हुई थी। उसके बाद प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में पेश किया गया है। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम ढण्ड तहसील महवा स्थित खातेदारान की प्रश्नगत भूमि में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि एवं सडक सीमा में आने वाली भूमि को खातेदारान की भूमि से पृथक नहीं किया जाकर सम्पूर्ण भूमि का ही तकास्मा किया गया है। जिससे उभयपक्ष के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय में वादी कदम सैनी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध दावा बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर प्रकरण के निस्तारण में और भी विलम्ब होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है साथ ही प्रकरण उप जिला कलक्टर महवा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं प्रकरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त शुदा भूमि को पक्षकारान की खातेदारी भूमि से पृथक किया जाकर शेष भूमि का तकास्मा किये जाने के बिन्दु को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। उप जिला कलक्टर महवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:32 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official